the Department of Cultural Affairs during the year 1961-62;

(b) the names of experts whose lectures and discussions etc. wer; arranged as referred to in part (a) above and the subjects on which they were arranged; and

(c) the total expenditure incurred on the programmes referred to in part (a) above?]

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्य विभाग ने कोई चर्चायें, भाषण या सेमिनार नहीं कराये ।

†[THE MINISTER OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS (SHRI HUMAYUN KABIR) : (a) to (c) No discussions, lectures or seminars were arranged directly by the Department of Cultural Affairs of the Ministry.]

483. *[Transferred to the 28th* August, 1962.]

खान तथा ईंधन मंत्रालय के अस्थायी कर्मचारी

४८४. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **खान तथा ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उस के संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में इस समय ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको तीन वर्ष से अधिक काम करते हो गये हैं किन्तु अभी वे अस्थायी हैं;

(ख) उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें ५, १० व १५ वर्ष काम करते हो गये हैं; और

(ग) कुल अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है व उनको कब तक व किस प्रकार स्थायी किया जायेगा ?

†[TEMPORARY EMPLOYEES IN MINES AND FUEL MINISTRY

484. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of MINES AND FUEL be pleased to state:

(a) the number of employees in his Ministry and its attached and subordinate offices at present who have put in more than three years of rer-vice but are still temporary;

(b) the number of such employees amongst them who have put in 5, 10 or 15 years of service; and

(c) the total number of temporary employees and the time by when and the manner in which they would be confirmed?]

खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) १,७०२ ।

(ख) ७७२, ६१ तथा १५८ क्रमशः ।

(ग) ३,६४८ ।

स्थायी करने के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(१) मंत्रालय का सचिवालय—

४० अस्थायी कर्मचारियों में से २४ अवर श्रेणी क्लर्क (Lower Division Clerk) ३ आशुलिपिक तथा १३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं । गृह मंत्रालय द्वारा अवर श्रेणी क्लर्कों और आशुलेखकों को उनकी क्रमशः सेवा स्कीमों के उपबन्धों के अनुसार स्थायी किया जाता है । १३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से १० कर्मचारियों का मामला विचाराधीन है और उनको शीघ्र ही स्थायी किया जायेगा । एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुअत्तल है । शेष दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियत शिक्षा प्राप्त नहीं किये हुए हैं । अतः वे अभी स्थायी होने के योग्य नहीं हैं ।

†[ ] English translation.

(२) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग—

पदों (Posts) का, जिनको स्थायी करना होता है, साल में एक बार पुनर्विलोकन किया जाता है और अस्थायी पदों, जो कि तीन साल से विद्यमान है, के ८० प्रतिशत को स्थायी में बदलने के लिए प्रस्तावों को सरकार के पास भेजा जाता है। जैसे और जब पदों को स्थायी किया जाता है, सम्बन्धित अफसरों को भर्ती की नियमावली के अनुसार इन पदों में स्थायी किया जाता है।

(३) भारतीय खान विभाग—

श्रेणी I, II और III अस्थायी पदों के ८० प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी अस्थायी पदों के ५० प्रतिशत को, जो कि तीन सालों से अधिक समय से विद्यमान हैं, स्थायी में बदलने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

(४) कोयला नियंत्रक की संस्था—

इस कार्यालय की स्टाफ स्थिति का अब मंत्रिमण्डल सचिवालय (विशेष पुनर्संगठन एकक) द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उनके द्वारा सिफारिश किये गये पदों की वास्तविक संख्या को स्थायी रूप में बदलने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(५) खनन पट्टों के नियंत्रक का कार्यालय—

इस कार्यालय के तीन अस्थायी कर्मचारियों के स्थायी होने की सम्भावना नहीं है; क्योंकि यह कार्यालय स्वयं भी बिलकुल अस्थायी है।

t[THE MINISTER OF MINES AND FUEL (SHRI K. D. MALAVIYA): (a) 1702.

t[ ] English translation.

(b) 772, 91 and 158 respectively.

(c) 3,648.

The position regarding confirmation is as follows: —

(i) Secretariat *of the Ministry.*— Out of 40 temporary employees, 24 are Lower Division Clerks, 3 Stenographers and 13 Class IV Officers. Confirmation of Lower Division Clerks and Stenographers is made by the Ministry of Home Affairs in accordance with the provisions in the respective service schemes. Out of 13 Class IV employees, cases of 10 are under consideration, and they will be confirmed shortly. One Class IV employee is under suspension and the remaining two are educationally not qualified and therefore not eligible for confirmation at present.

(ii) *Geological Survey of India.*— Posts which are required on permanent basis are reviewed once a year and proposals for conversion of 80 per cent of the temporary posts which have been in existence for three yearr into permanent ones, are submitte to Government. As and when posts are made permanent, the concerned officers are confirmed in those posts in accordance with the recruitment rules.

(iii) *Indian Bureau of Mines.*— Proposal for the conversion of 80 per cent of Class I, II and III temporary posts and 50 per cent of Class IV temporary posts which have been in existence for more than three years is under consideration.

(iv) Coal *Controller's Organisation.*—The staff position of this office is now under review by the Cabinet Secretariat (Special Re-organisation Unit). After receipt of their report, the proposal for conversion of actual number of posts to be recommended by them, will be considered.

(v) *Ojfic$_e$ of Controller of Mining Leases.*—The three temporary employees in this office are not likely to be confirmed as the office itself is purely temporary.]

जनता से प्राप्त प्रार्थनापत्र तथा उन पर की गई कार्यवाही

४८५. **श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या **खान तथा ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति के कार्यालय से उनके मंत्रालय को जनता के ऐसे कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें राष्ट्रपति को, उनके द्वारा जनता के लोगों को दी गई खुली मुलाकातों में, प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) ऐसे कितने प्रार्थनापत्रों पर अब तक कार्यवाही की जा चुकी है और उनका क्या परिणाम निकला ?

t [APPLICATIONS FROM THE PUBLIC AND ACTION TAKEN

485. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of MINES AND FUEL be pleased to state:

(a) the number of applications, received in his Ministry from the Office of the President, which were presented to the President by the members of the public during the open interviews granted to them by him; and

(b) the number of such applications on which action has been taken so far nnd the results thereof?]

खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) शून्य ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

t[THE MINISTER OF MINES AND FUEL (SHRI K. D. MALAVTYA): (a) Nil.

(b) Does not arise.]

खान तथा ईंधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक

४८६. **श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या **खान तथा ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उस के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में तथा भारतीय भाषाओं में इस समय जो पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, उनके सम्पादकों के वेतन क्रम क्या हैं ;

(ख) इन पत्रों के सम्पादकों को कितना कितना तथा क्या क्या काम करना पड़ता है ;

(ग) क्या इन सम्पादकों को सहायक तथा अनुवादक दिये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक सम्पादक को ऐसे कितने व्यक्ति दिये गये हैं और उन के वेतनक्रम क्या हैं ?

EDITORS OF PAPERS AND PERIODICALS PUBLISHED BY MLNES AND FUEL MINISTRY

486. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of MINES AND FUEL be pleased to state:

(a) the scales of pay of the editors of papers and periodicals which are at present published by his Ministry and its attached and subordinate offices, in English and in Indian languages;

(b) the volume and nature of work which the editors of these papers have to do;

(c) whether these editors are provided with any assistants and translators; and

j[ ] English translation.